

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संभव्यहार और अवभारों पर जोड़, उक्त सम्पत्ति की प्रमाणित करने वाले किती अन्य संभव्यहार और अवभार कर पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) - *E*

(पदनाम) - *clerk*

तलाशी कर स्थापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) - *[Signature]*

(पदनाम) - *clerk*

फ़र्यात *SS. Sub. Registry Office*



मुहर

तारीख *10/05/20*

[Signature]

निम्न पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संभव्यहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा गणा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों की निम्नलिखित दस्तावेजों में दिखाया गया हो; तो-यही दस्तावेजों से प्रमाणित राज्यवार (ट्रान्ज़ेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

२) निम्न अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहिष्कृत और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स्) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो, अथवा जो उनका प्रतिनिधि होगा चाहते हो अथवा जिन्हें विनिश्चित सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जहरील हो उन्हें तलाशी खर्च करना होगा। विहित कीस कर गुप्तान करने पर बहिया और अनुक्रमणियों उनके तालने रख दी जायेगी।

क) किन्तु यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने तलाशी नहीं की है, इसलिए फ़र्यात में अपेक्षित तलाशी अपने गणना-सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की विरती गूट के लिए गिरी गी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी खर्च नहीं किया है और यदि जाँच द्वारा पड़े गये संभव्यहारों और अवभारों को स्थापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे संभव्यहारों और अवभारों की गूट के लिए किती भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

*Search made by me
R. M. Mandal*